THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) and (b) According to the estimates released by the Government, the percentage of people below poverty line in 1987-88 i.e. the latest year for which the published estimates are available, was 29.9 per cent.

(c) The poverty line in India, based on the recommendations of a Task Force on Minimum Needs and Effective Consumption Demand which submitted its Report in 1979, is defined as the per capita monthly expenditure of Rs. 49.09 in rural areas and Rs. 56.64 in urban areas at 1973-74 prices corresponding to the per capita calorie requirement of 2400 in rural areas and 2100 in urban areas. The poverty line defined this way is updated for the reference year using private consumption expenditure deflator.

(d) and (e) The criteria for measuring poverty differs from country to country. In general, as countries become wealthier, their perceptions of the acceptable minimum level of consumption, i.e. the poverty line changes.

(f) and (g) The Planning Commission constituted an expert Group on Estimation of Proportion and Number of Poor in September, 1989 to look into the methodology for estimation of poverty line at national and state level and also to go into the question of redefining poverty line, if necessary. The report of the Group, submitted recently is being studied.

बिजली-घरों के पास कोयले का स्टाक

*374. **श्री नौनिहाल सिंह :**
श्री शारदा महन्ती :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम के विभिन्न बिजली-घरों के पास कोयले का कितना-कितना स्टाक है ;

(ख) यह स्टाक इन बिजली घरों की कितने दिन की खपत के लिए पर्याप्त है ; और

(ग) इन बिजली घरों को निरन्तर कोयला उपलब्ध कराये जाने हेतु क्या व्यवस्था की गई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) देश के उत्तरी-पश्चिमी भागों में स्थित विभिन्न तापीय विद्युत गृहों के पास दिनांक 17-8-93 को कोयले के स्टाक की स्थिति तथा उक्त स्टाक के पर्याप्त रहने संबंधी दिनों की संख्या के संबंध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना में दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र सभा पटल रख दिया गया है **(नीचे देखिये)**

(ग) विद्युत गृहों को कोयले का संचलन किए जाने के मामले में उच्चतम प्राथमिकता दी विद्युत गृहों की कोयले की आपूर्ति पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती हैं और अपेक्षानुसार इस संबंध में सुधारात्मक कारवाई की जाती है ।

विवरण

विद्युतगृह का नाम	कोयले का स्टाक (आंकड़े अनंतिम)	
	(हजार टन में)	उपभोग (दिनों में)
1. बदरपुर ताप विद्युत गृह	172	17
2. आई. पी. स्टेशन (डेसू)	141	47
3. राजघाट (डेसू)	38	22
4. फरीदाबाद	43	22
5. पानीपत ता. वि. गृह.	109	16
6. भटिण्डा ता. वि. गृह	115	21
7. रोपड़ ता. वि. गृह	151	12
8. हरदुआगंज ता. वि. गृह	182	67
9. ओबरा ता. वि. गृह	364	23
10. सिंगरौली सुपर ता. वि. गृह	105	5
11. रिहन्द	76	8
12. नेशनल कैपिटल ता० वि. गृह	41	12
13. पनकी ता. वि. गृह	56	24
14. परिचा ता. वि. गृह	42	21
15. ऊंचाहार ता. वि. गृह	259	49
16. अनपारा ता. वि. गृह	308	34
17. टांडा ता. वि. गृह	143	62
18. कोटा ता. वि. गृह	466	58
19. अहमदाबाद	42	9
20. वानकबोरी ता. वि. गृह	322	21
21. गांधीनगर ता. वि. गृह	383	50
22. उकाई ता. वि. गृह	199	22
23. सिक्का ता. वि. गृह	114	46
24. भुसावल ता. विद्युतगृह	192	36
25. चन्द्रपुर ता. वि. गृह	138	7
26. कोरादी ता. वि. गृह	177	14
27. नासिक ता. वि. गृह	177	18
28. खापरखेड़ा ता. वि. गृह	139	28
29. कारली	20	3
30. पारस	35	50